न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

1. गौरीशंकर यादव
2. महेश प्रसाद यादव
   पुत्रगण स्व. हल्के यादव
3. मुस. प्रेमबाई बेवा रामस्वरूप यादव
4. हरिओम 5. शिवओम
   पुत्रगण स्व. रामस्वप यादव
   समस्त निवासीगण ग्राम धामची तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. राजभान यादव पुत्र श्री गोविंददास यादव
   निवासी ग्राम धामची तह. व जिला छतरपुर
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल महेबा तहसील व जिला छतरपुर द्वारा रा.प्र.कं. 04/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10/X/18	(1) प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक गौरीचरण की ओर से श्री मुकेश मिश्रा अधि० आदि० व शासन पक्ष की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी अधि० उपस्थित। (2) अनावेदक क्रमांक (1) की ओर से श्री सुनील जादौन अधि० उपस्थित। (3) प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक व जिला मण्डल ~~महेड़वा~~ तह० छतरपुर के सीमांकन आदेश दि 11.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी थी, जिसे दिनांक 16-08-2016 को ग्राह्य (Admit) किया जा चुका है। (4) म.प्र. भू. रा. संहिता 1959 की धारा में 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं। (5) अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु S.D.O को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18/12/18 को S.D.O के यहाँ उपस्थित हों। अधीनस्थ का अभिलेख भेजा जावे। 10.10.2018	

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.